

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

समी डी०डी०ओ० क्षेत्रीय कार्यालय ।

क्रमांक: स्था/०४/२०१८/ ३७९८९-३८०५१

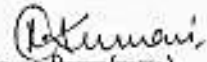
दिनांक: २०-११-१८

विषय:-

एल०टी०सी० बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषय संबंध में आपको सादर सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार के पत्र दिनांक २१.०४.२०१० अनुसार वही कर्मचारी एल०टी०सी० के पात्र होते हैं जिनकी एक वर्ष की रेगुलर सेवा हो, विभाग में मार्च २०१८ में कार्यग्रहण करने वाले लिपिक ब्लॉक २०१६-१९ की एल०टी०सी० की सुविधा के पात्र नहीं हैं। यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप अधीक्षक(स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।